भारत में जैविक खाद्य प्रमाणन प्राप्त करने के लिए कदम

जैसे कि देश में जैविक फसलों और खाद्य उत्पादों का बाज़ार बढ़ रहा है, भारत सरकार ने भी किसानों को प्रमाणन प्राप्त करने में मदद करने के लिए कदम उठाए हैं, जो यह सत्यापित करते हैं कि उत्पाद राष्ट्रीय जैविक उत्पादन मानक (एन एस ओ पी) के अनुरूप हैं। जहां प्रमाणीकरण किसानों को ख़रीदार खोजने में मदद करता है, वहीं यह उपभोक्ताओं को मूल और गुणवत्ता वाले जैविक उत्पादों की बिक्री भी सुनिश्चित करता है।

प्रमाणीकरण बाज़ार में जैविक आहार की पहचान में मदद करता है

जैविक और पारंपरिक उत्पाद एक सामान लगते हैं इसलिए बाज़ार में जैविक खाद्य की पहचान करने का एकमात्र तरीका यह है कि इसके प्रमाणीकरण और गुणवत्ता पहचान को चिन्ह के रूप में सत्यापित किया जाए। खाद्य सुरक्षा और मानक (जैविक खाद्य पदार्थ) विनियम, 2017 की आवश्यकता के अनुसार, सभी जैविक खाद्यों पर अपने प्रमाणन चिन्ह के साथ जैविक भारत का चिन्ह होना चाहिए।

जैविक प्रमाणीकरण क्या है?

जैविक प्रमाणीकरण एक प्रक्रिया प्रमाणन है जिसमें उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और परिवहन के लिए उत्पादन मानकों का एक समूह है जिसमें शामिल हैं:

- सिंथेटिक रासायनिक आदानों (उदाहरण के लिए उर्वरक, कीटनाशक, हार्मोन, एंटीबायोटिक्स, खाद्य योजक आदि) और आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (जी एम ओ) से बचाव
- विस्तृत लिखित उत्पादन और बिक्री रिकॉर्ड (लेखा परीक्षा) रखना
- गैर-प्रमाणित उत्पादों से जैविक उत्पादों को पूरी तरह अलग रखना
- समय-समय पर स्थल निरीक्षण करना

प्रमाणीकरण प्रणाली

भारत में दो जैविक प्रमाणीकरण प्रणालियां मौजूद हैं। दोनों प्रणालियाँ सामान्य राष्ट्रीय मानकों पर आधारित हैं लेकिन सत्यापन और दस्तावेज़ीकरण के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाती हैं।

- निर्यात के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एन पी ओ पी)
- घरेलू और स्थानीय बाज़ारों के लिए भारत सहभागिता गारंटी प्रणाली (पी जी एस-इंडिया)

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एन पी ओ पी) प्रमाणीकरण

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एन पी ओ पी) प्रमाणीकरण एक तृतीय-पक्ष प्रमाणन है, जिसमें कृषि उत्पाद के खेत या प्रसंस्करण को किसी मान्यता प्राप्त जैविक प्रमाणन एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय जैविक मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाता है। एन पी ओ पी प्रमाणीकरण को भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि प्रसंस्कृत खाद्य और निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी डा) द्वारा चलाया जा रहा है।

भारत सहभागिता गारंटी प्रणाली (पी जी एस-इंडिया) प्रमाणीकरण

सहभागी गारंटी प्रणाली एक केंद्रित स्थानीय गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली है, जो विश्वास, सामाजिक नेटवर्क और ज्ञान के आदान-प्रदान की नींव पर आधारित है। जैविक खेती के मामले में, पी जी एस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समान परिस्थितियों में लोग (इस मामले में उत्पादक) एक-दूसरे की उत्पादन प्रथाओं का आंकलन, निरीक्षण और सत्यापन करते हैं और सामूहिक रूप से समूह के संपूर्ण उत्पादन को जैविक घोषित करते हैं। पी जी एस-इंडिया को भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र (एन सी ओ एफ), गाज़ियाबाद के माध्यम संचालित किया जाता है।

राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र (एन सी ओ एफ) के बारे में

राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र (एन सी ओ एफ) राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एन एम एस ए) के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नोडल एजेंसी है जो अपने नौ क्षेत्रीय केंद्रों के साथ, निम्नलिखित प्रमुख आदेशों पर कार्य करती हैः

- मानव संसाधन विकास सहित सभी हितधारकों की तकनीकी क्षमता निर्माण के माध्यम से देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना
- प्रौद्योगिकी प्रसार और किस्मों की आपूर्ति
- उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफ सी ओ, 1985) के तहत जैव उर्वरकों और जैविक खादों का वैधानिक गुणवत्ता नियंत्रण
- जैविक प्रमाणीकरण की कम लागत वाली भागीदारी प्रणाली को बढ़ावा देना
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरूकता और प्रचार

अब तक भारत में कुल 6.12 लाख हेक्टेयर भूमि और 9.32 लाख किसानों का पी जी एस-इंडिया के तहत और 9.12 लाख हेक्टेयर भूमि और लगभग 15 लाख किसानों का एन पी ओ पी के तहत प्रमाणीकरण किया गया है।